

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

कार्यालय आदेश

दिनांक-22/12/10

कार्यालय आदेश सं०- 386..... विभागीय अधिसूचना जापांक 6912 दिनांक 29.06.10, जापांक 6949 दिनांक 29.06.10 एवं विभागीय अधिसूचना जापांक 6996 दिनांक 30.06.10 द्वारा निम्नांकित प्रसार पदाधिकारी जो प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं कार्यपालक दंडाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्त थे, की सेवा उनके पैतृक विभाग (ग्रामीण विकास विभाग) को वापस की गयी है :-

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या	RDD-ID NO.	पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	प्रतिनियुक्त पद एवं जिला का नाम	पूर्व में धारित पर्यवेक्षीय पद एवं जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1.	6944/ 29.06.10	RDD/000622	श्री राम विजय पंडित	सिवान	प्रखंड विकास पदाधिकारी, निर्मली, सुपौल	प्रसार पदाधिकारी, गोपालगंज
2.	6947/ 29.06.10	RDD/001451	श्री रवीन्द्र कुमार	जहानाबाद	प्रखंड विकास पदाधिकारी, मंसूरचक, बेगूसराय	प्रसार पदाधिकारी, नवादा
3.	6907/ 29.06.10	RDD/000645	श्रीमती सीमा रानी बोस	मधुबनी	कार्यपालक दंडाधिकारी, जमुई	महिला प्रसार पदाधिकारी, बेगूसराय
4.	6996/ 30.06.10	RDD/001395	श्री अब्दुल रहमान	पटना	प्रखंड विकास पदाधिकारी, कटरा, मुजफ्फरपुर	प्रसार पदाधिकारी, सीतामढ़ी

2. उपरोक्त प्रसार पदाधिकारी प्रतिनियुक्त पद से वापस होने/विरामित होने के पश्चात् विभाग में निम्नांकित तिथि को योगदान किये हैं-

क्र. सं.	पदाधिकारी का नाम	योगदान की तिथि
1	4	5
1.	श्री राम विजय पंडित	22.07.2010 अपराह्न
2.	श्री रवीन्द्र कुमार	12.07.2010
3.	श्रीमती सीमा रानी बोस	23.08.2010
4.	श्री अब्दुल रहमान	02.08.2010 पूर्वाह्न

चूंकि ये पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति के पूर्व तालिका के स्तम्भ-7 में अंकित स्थान पर पदस्थापित थे, अतः इन्हें पूर्व धारित पर्यवेक्षीय पद एवं जिला में योगदान देने हेतु आदेश दिया जाता है।

3. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

4. उपरोक्त पदाधिकारी उपरोक्त पदाधिकारी नवपदस्थापित स्थान से ही वेतन एवं बकाया वेतन प्राप्त करेंगे।

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक:- 14346 दिनांक:- 22/12/10

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा, निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक:- 14346 दिनांक:- 22/12/10

प्रतिलिपि- आयुक्त, सारण, मगध, मुंगेर एवं तिरहुत/ जिला पदाधिकारी, गोपालगंज, नवादा, बेगूसराय एवं सीतामढी/उप विकास आयुक्त, गोपालगंज, नवादा, बेगूसराय एवं सीतामढी/कोषागार पदाधिकारी, सुपौल, बेगूसराय, जमुई, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, नवादा एवं सीतामढी/ संबंधित पदाधिकारी/ ग्रामीण विकास विभाग के प्रशाखा-2 एवं 3/ग्रामीण विकास विभाग के संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि आदेश का तत्क्षण अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक:- 21/10-1-06/10 14346 दिनांक:- 22/12/10

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/श्री प्रिय नवीन, आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रविष्टि हेतु) को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव